

# फर्द अहकाम

(नियम 20)

(राजस्व)

मुकाम

अज अदालत

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम राजेश कुमार 5/0 हंसराज हल्का 5970P  
किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 413 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
09-09-2020	<p>रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि</p> <p>अप्रार्थी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति नरि साकिन श्यामगढ ने चक 5970P के मु.नं. 32 कि.नं. 8, 13 में कुल 0.253 हेक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्बत् 2077 (शरीफ) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील मे लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 24-09-2020 को पेश हो</p>	
4-09-2020	<p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी बावजूद जे टिस तामिल के उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अतिक्रमि दुरुस्त किया जाता है। निर्णय अलग ले लिया जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अतुलर ILR/पटवारी हल्का को लिखा जावे, पालनोपरान्त पत्रावली निर्णय शुभार दाखिल दफ्तर हो।</p>	

